


20.0.18

ज्याकरी नहरबंदी उदयपुरवाडी से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त
होने पर पेपर वर्क) यहाँ साणी कला के जमीन अधिकता की उपपल
सिद्ध एक प्रकृष उस अक्षय का पत्र निमा के प्रकार में नहरबंदी
उदयपुरवाडी से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अधिक उचित व
कृषि क्षेत्र प्राप्त करके जावे। इसके विभाजन प्रस्ताव पर कोई
आपत्ति दर्ज नहीं करके विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जायगा है।
तथा कृषि क्षेत्र व उचित किसी प्रकार से लक्षित कायदा जाकर
शान्ति प्रस्थापित किया गया। ज्याकरी दाखला प्रस्ताव है।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाडी (सुदूर)

28.8.18 प्रार्थी जितेन्द्र सिंह द्वारा प्रमाण सा.वा.सं 136 LRA का प्रस्तुत करने पर जो-जो तहसीलदार उदयपुरवादी के कार्याई गई। जो-जो अनुसार प्रार्थी का नाम धाम टोडी के पञ्चायती खाता सं. 1150 में दायीरसिंह पुं सुरजन सिंह दर्ज-समा आ रहा है। राजस्व रिकार्ड के अलावा अन्य दस्तावेज साधारणकार्ड, पेनकार्ड, आर्मी पहचानपत्र, परिवार राजनकार्ड, हाइविंग लाईसेंस, नारंग-य का पहचानपत्र आदि में प्रार्थी का सही नाम जितेन्द्र सिंह पुं सुरजन सिंह अंकित है। उक्त विवेचन एवं प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त किया जाना चाहिए तथा ग्राहोचित्त प्रतिलिखित है। धर: धाम टोडी तहसील उदयपुरवादी की सरतद में स्थित जयसिंह माधव अरि खान. 243 रकबा 0. 2400 है. में दर्ज प्रार्थी का नाम दायीरसिंह पुं सुरजन सिंह के बजाय जितेन्द्र सिंह पुं सुरजन सिंह दुरुस्त किया जाना है। अनुसार तहसीलदार उदयपुरवादी राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करे उक्त नाम दुरुस्ती के अलावा शेष खाते के उद्धार के लिए प्रार्थी को उपरोक्त पञ्चायती का तहसील नम्बर से काम लेना है जिसके द्वारा उदयपुरवादी



628/2110
 उपखण्ड अधिकारी
 उदयपुरवादी (हनुवा)